ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रंजूबाला	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री परस राम	23.1.16 से 31.3.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सन्जूबाला	1.4.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत जखाड़ा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.68
2	9	खाता ख में अर्जित ब्याज को खाता क में अन्तरित न करना	0.28
3	12	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	2.44
4	15	सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य का निष्पादन	8.25

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8.3.17 से 18.3.17 तक पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/13, 10/14 व 4/15 तथा 2/14, 2/15 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 255 दिनांक 18.3.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जखाड़ा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत जखाड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत जखाड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	113319	185350	298669	232792	65877
2014–15	65877	346433	412310	209722	202588
2015–16	202588	139522	342110	188523	153587

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत जखाड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	86303	1266104	1352407	1257113	95294
2014–15	95294	1408598	1503892	1211097	292795
2015–16	292795	1216128	1508923	1395779	113144
		स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)			**₹266731**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	मद	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	VKVNY	KCC Fatehpur	50051898284	636
2	Z.P	KCC Fatehpur	50051898217	49892
3	MPLAD	-do-	50051898193	2316
4	P/S	-do-	50051898239	2785
5	Watershed	-do-	50056563591	904
6	13th Fin	-do-	50051898182	71961
7	SF	-do-	20028012653	81626
8	IAY	-do-	20028012937	0
9	Manrega	-do-	20028013157	0
10	TSC/SBM	-do-	50051898251	56611
		जोड़		**₹266731**

अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2)	₹266731
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में जमा राशि	₹266731

G.P. Jakhara

5 पंचायत राजस्व ₹0.68 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹68460 की वसूली शेष थी।

(1) गृहकरः—

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013—14	5575	20295	25870	—	25870
2014—15	25870	20295	46165	—	46165
2015—16	46165	20295	66460	—	66460
(2) मोबाईल टावर					
2013—14	शून्य	2000	2000	शून्य	2000
2014—15	2000	2000	4000	2000	2000
2015—16	2000	2500	4500	2500	2000

6 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्वः स्त्रोत जैसे कि गृहकर, भू—राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त वाँछित अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता—क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम—3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता—ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत

G.P. Jakhara

की व प्रत्येक अनुदान के लिए पृथक रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.28 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में भी नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013–14**	**2014–15**	**2015–16**	**अर्जित ब्याज**
50051898284	205	546	56	807
50051898217	194	595	1943	2732
50051898193	408	65	133	606

G.P. Jakhara

50051898239	132	1204	238	1574
50056563591	373	317	114	804
50051898182	–	–	3569	3569
20028012937	1081	4754	–	5835
20028013157	1655	415	–	2070
50051898251	415	709	8905	10029
योग	**4463**	**8605**	**14958**	**28026**

10 नियमों के विरूद्ध दस बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार दस बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनुदान ₹1.13 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹113144 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.44 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा

G.P. Jakhara

₹244386 के स्टॉक/स्टोर का क्रय व अन्य व्यय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय व व्यय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मस्ट्रोल ₹0.07 लाख के भुगतान बारे (MPLAD निधि)

वाउचर संख्या 1 दिनांक 5.5.2014 द्वारा मस्ट्रोल ₹6900 का भुगतान अवधि 22.2.14 से 28.2.14 द्वारा दर्शाया गया। उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जैसेकि MB में प्रविष्टि मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर पंचायत प्रस्ताव संख्या सम्बन्धित इत्यादि का उल्लेख नहीं था जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण स्पष्ट किए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 मनरेगा मस्ट्रोल का मस्ट्रोल जारी रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मनरेगा के निम्न मस्ट्रोल का भुगतानों से सम्बन्धित मस्ट्रोल का मनरेगा मस्ट्रोल जारी रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	मस्ट्रोल सं0	कार्य का विवरण	अवधि	राशि
1	21/7.2.14	2792 से 2794	तालाब की खुदाई वार्ड–5	1.12.13 से 15.12.13	28980
2	22/7.2.14	3354 से 3356	प्रोटेक्शन वाल मन्दिर से सरदारी लाल के घर तक	15.12.13 से 30.12.13	22494
3	23/7.2.14	3357 से 3361	तालाब की खुदाई वार्ड–3	16.12.13 से 31.12.13	22218
4	29/9.2.15	1236 से 1238	नि0 डंगा शांति देवी रत्न चन्द, ध्यान चन्द आदि	1.10.14 से 15.10.14	30338

15 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹8.25 लाख के कार्य निष्पादन बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित **परिशिष्ट–3** में दिए विवरणानुसार ₹824600 का व्यय बिना

सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरूद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

G.P. Jakhara

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़ें निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 101/2017—खण्ड—1—4899—4902 दिनाँक,9.08.17
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट–2)

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	VKVNY	2/24.4.13	मैसर्ज गणेश ब्रिक कम्पनी द्वारा ईन्टों की आपूर्ति हेतु भुगतान	11000
2	VKVNY	1/9.7.14	मैसर्ज ओम ब्रिक कम्पनी द्वारा ईंटों की आपूर्ति हेतु भुगतान	18096
3	VKVNY	5/28.10.14	मै0 काजल स्टोन क्रशर द्वारा रेत बजरी की आपूर्ति हेतु भुगतान	28350
4	VKVNY	6/28.10.14	श्री लाल चन्द द्वारा पत्थर की आपूर्ति हेतु भुगतान	8000
5	VKVNY	8/5.11.14	मै0 जगदीप सीमेन्ट स्टोर को सरिया आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	40240
6	VKVNY	1/9.7.15	मै0 काजल स्टोन क्रशर द्वारा रेत बजरी की आपूर्ति हेतु भुगतान	13000
7	MPLAD	21/5.1.14	–यथोपरि–	16000
8	MPLAD	22/5.1.14	श्री बलदेव राज द्वारा पत्थर की आपूर्ति का भुगतान	5500
9	MPLAD	232–24/5.1.14	मै0 काजल स्टोन क्रशर द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	36200
10	मनरेगा	12 व 16/27.8.14	–यथोपरि–	35000
11	मनरेगा	1 व 11/27.8.14	श्री बलदेव राज द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	33000
			योग	**₹244386**

(परिशिष्ट–3)

(पैरा–15 के सन्दर्भ में)

ग्राम पंचायत जखाड़ा, विकास खण्ड फतेहपुर (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना ₹8.24 लाख के कार्य का निष्पादन

क्रमांक	निधि	विवरण	राशि
1	VKVNY	निर्माण सरायें पल्ली वार्ड–5	200000
2	Water Shed	निर्माण तालाब वार्ड–5	174600
3	मनरेगा	निर्माण प्रोटैक्शन वाल अमी चन्द के घर से करतार के घर तक	150000
4	मनरेगा	निर्माण जीप योग्य रास्ता तिलक राज के घर सो गोई खडड	100000
5	मनरेगा	निर्माण प्रोटैक्शन वाल मन्दिर से सरदारी लाल के खेत तक	100000
6	मनरेगा	निर्माण प्रोटैक्शन वाल रविन्द्र के खेत से अजीत के खेत तक	100000
		कुल	**₹824600**